भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सुरक्षा सहित सेवा

फा.सं0 ए-60011/41/2011/पीपी

दिनांक : 17 जनवरी, 2012

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
उत्तरी/ पश्चिमी/ पूर्वी/ दक्षिणी/ पूर्वोत्तर क्षेत्र,
दिल्ली/ मुंबई/ कोलकाता/ चेन्नई/ गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक,
आरसीडीयू/एफआईयू
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
कोलकाता /चेन्नई हवाई अड्डा

निदेशक
भारतीय विमानन अकादमी
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य,
नागर विमानन प्रशिक्षण कॉलेज,
इलाहाबाद

महाप्रबंधक ,
सीआरएसडी/विद्युत एवं यांत्रिक वर्कशाप,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
नई दिल्ली

<u>निगमित मा.सं. प्र. परिपत्र सं. 04/2012</u>

विषय: ट्रांजिट/ हॉस्टल/ गेस्ट हाउस आवास के आबंटन तथा संबंधित एच आर ए के भुगतान हेतु नीति/ प्रक्रिया की समीक्षा

ट्रांजिट/ हॉस्टल/ गेस्ट हाउस आवास के आबंटन तथा संबंधित एच आर ए की अदायगी की नीति तथा प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के उद्देश्य से मौजूदा दिशानिदेशों की समीक्षा की गई तथा निम्नलिखित निर्णय किए गए : -

क. जहां कहीं भी आरक्षित आवास व्यवस्था उपलब्ध है वहां कार्यपालकों को बाहर ठहरने की अनुमति नही दी जाएगी । यदि पात्र श्रेणी के आवास की अनुपलब्धता अथवा आवास की जीर्ण-शीर्ण अवस्था के आधार पर इस संबंध में किसी प्रकार की छूट/ रियायत की आवश्यकता हो तो यह छूट केवल अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन पर ही दी जा सकेगी ।

ख. कर्मचारियों को तैनाती के 30 दिनों के भीतर यदि उपलब्ध हो तो, पात्र श्रेणी/ लीज पर भा.वि.प्रा. आवास स्थल उपलब्ध कराया जाए । इस अवधि के दौरान, कर्मचारी ट्रांजिट/ गेस्ट हाउस आवास स्थल का पात्र होगा जिसके लिए लागू प्रभार लिए जाएंगे । इस अवधि के दौरान कर्मचारी एच आर ए का भी पात्र होगा ।

ग. यदि 30 दिनों के भीतर भा.वि.प्रा. आवास/लीज की व्यवस्था नहीं की जाती है तो कर्मचारी ट्रांजिट/ गेस्ट हाउस आवास स्थल में 30 दिनों के पश्चात् अधिकतम 6 माह के लिए रहने का पात्र होगा । विस्तारित अवधि के दौरान एच आर ए भी दिया जाएगा ।

घ. यदि कर्मचारी को पात्र श्रेणी के आवास की अपेक्षा निम्न श्रेणी का आवास उपलब्ध कराया जाता है तो आबंटित आवास की श्रेणी के प्लिंथ एरिया के आधार पर निम्न श्रेणी के आवास की लाइसेंस फीस प्रभारित की जाएगी ।

राजीव गांधी भवन
Rajiv Gandhi Bhawan
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली–११०००३
Safdarjung Airport, New Delhi-110003
दूरभाष : २४६३२९५०
Phone : 24632950
फैक्स : ९१–११–२४६३२९९०
Fax : 91-11-24632990

ड. यदि कर्मचारी को भा.वि.प्रा. द्वारा नियमित आधार पर भा.वि.प्रा. आवास व्यवस्था या ट्रांजिट आवास या हॉस्टल/ गेस्ट हाउस आबंटित किया जाता है तो वह स्टेशन के एच आर ए का पात्र नहीं होगा / होगी । साथ ही इस संबंध में अन्य संगत प्रभार उनसे वसूल किए जाएंगें ।

च. उपर्युक्त नियम प्रशिक्षण संस्थानों को छोडकर उन सभी स्थलों पर लागू होगें जहां हॉस्टल उपलब्ध हैं व उनका ट्रांजिट आवास के रुप में उपयोग किया जा रहा है ।

छ. सी ए टी सी, इलाहाबाद में तैनात कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे महाविद्यालय में स्थित भा.वि.प्रा.आवासीय व्यवस्था में ही रहें ।

ज. प्रशिक्षण संस्थानों में, हॉस्टल आवास के आबंटन में प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता दी जाएगी ।

झ. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक द्वारा प्रशिक्षुओं के समूह में ठहरने की उपयुक्त श्रेणी की व्यवस्था की जाएगी ।

2. यह आदेश इस संबंध में जारी सभी पूर्व अनुदेशों को अधिक्रमित करता है ।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया ।

(के.के. झा)
सदस्य (मानव संसाधन)

<u>आन्तरिक वितरण:</u>

- अध्यक्ष के विशेष कार्याधिकारी
- सदस्य(योजना)/ सदस्य (एएनएस)/ (वित्त)/सदस्य (प्रचालन)/ मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव
- कार्यपालक निदेशक (वित्त)/ कार्यपालक निदेशक (प्रशासन)/कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)/ कार्यपालक निदेशक (सीए एण्ड सीएस)
- महाप्रबंधक(आईटी) - भाविप्रा वेबसाइट में परिपत्र को अपलोड करने हेतु
- मा.सं. / प्रशा. के सभी महाप्रबंधक - बीएस/ आरके /आर एस एम/ आरडी/उप महाप्रबंधक (एम एस)
- महासचिव, ए.ए.ई.यू.
- अध्यक्ष/ महासचिव -ए.ए.ओ.ए.(आई)/ आई.ए.ए.आई.ओ.ए./ ए.सी.ओ.ए (आई)/ ए.टी.सी गिल्ड(आई)/ए.ए.आई इंजीनियरिंग गिल्ड / ए.ए.आई अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ
- सूचना पट्ट

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

No. A.60011/41/2011/PP

17th January, 2012

The Regional Executive Director
Airports Authority of India
Northern/Western/Eastern/Southern/NER
Delhi/Mumbai/Kolkata/Chennai/Guwahati

The Executive Director,
RCDU/FIU
AAI, New Delhi.

The Airport Director,
Airports Authority of India
Kolkatta/Chennai Airport.

The Director,
Indian Aviation Academy,
New Delhi.

The Principal,
CATC, Allahabad.

The General Manager,
CRSD/E&M Workshop,
AAI, New Delhi.

Corporate HRM Circular – 04 /2012

Subject : Review of policy / procedure of allotment of transit/hostel/guest house accommodation and payment of HRA thereof.

With a view to streamline the policy and procedure regarding allotment of transit/hostel/guest house accommodation and drawal of HRA thereof the existing guidelines have been reviewed and the following decisions have been taken:-

a) Wherever reserved residential accommodation is available, executives shall not be permitted to stay outside. If any exemption / relaxation is required in this regard on the ground of non-availability of entitled class of accommodation or dilapidated condition of accommodation etc., it may be granted only with approval of the Chairman.

b) Employees should be provided, if available, AAI residential accommodation of entitled class/lease within 30 days of the posting. During this period, the employee will be entitled to get transit/guest house accommodation for which applicable charges will be levied. The employee will also be entitled for HRA during this period.

c) In case AAI accommodation / lease is not made available within 30 days, the employee will be eligible to extend the stay in the transit / guest house accommodation beyond 30 days for a maximum period of 6 months. HRA will also be paid during the extended period.

d) In case the employee is provided with the lower type of accommodation and not entitled type of accommodation, the license fee shall be charged against the lower type of accommodation based on the plinth area of the category of the accommodation allotted.

e) In case the employee has been allotted by AAI on regular basis AAI residential accommodation or transit accommodation or hostel/guest house, he / she shall not be entitled for HRA of the station and in addition other relevant charges in this regard shall be recovered from him / her.

Contd../-2

राजीव गांधी भवन सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-११०००३ दूरभाष : २४६३२९५० फैक्स : ९१-११-२४६३२९९०
Rajiv Gandhi Bhawan Safdarjung Airport, New Delhi - 110003 Phone : 24632950 Fax : 91-11-24632990

f) The above norms shall apply wherever hostels are in existence and are being used as transit accommodation except at training institutes.

g) It is mandatory on the part of the employees posted at CATC, Allahabad to occupy the AAI residential accommodation at the College.

h) At training institutes, the trainees shall have the first preference for allotment of hostel accommodation.

i) At Regional Training Centres (RTCs), the appropriate type of accommodation to stay in groups will be arranged by the RED concerned for the trainees.

2. This order will supersede all the previous instructions issued in this regard.

3. This issues with the approval of the Competent Authority.

(**K.K. Jha**)
Member (HR)

Internal Distribution :

- OSD to Chairman
- PS to Member(Plng.)/Member(ANS)/Fin./Member (Ops.)/CVO
- ED(Fin.)/ED(Admn.)/ED(HR)/ED(CA&CS)
- GM (IT) – for uploading the circular in AAI website
- All GMs in HR /Admn. –BS/RK/RSM / RD/ Dy. GM(MS)
- General Secretary, AAEU
- President / General Secy. –AAOA(I)/IAAIOA/ACOA(I)/ATC Guild(I)/AAI Engg. Guild/
  AAI SC/ST Welfare Association
- Notice board